संख्या-87/2021/448 /23-9-2021-01नाबार्ड(स0मा0)/2020

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी व मीरजापुर ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या-724/आर0आई0डी0एफ0-25/2021, दिनांक 12.03.2021 एवं मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर के पत्र संख्या-614/1लेखा, दिनांक 10.03.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा स्वीकृत जनपद बाराबंकी एवं मीरजापुर के 02 चालू कार्यों हेतु सूची के स्तम्भ-9 में उल्लिखित मांग रू0 62,23,000/- (रूपये बासठ लाख तेईस हजार मात्र) के सापेक्ष स्तम्भ-10 के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि अर्थात रू0 62,23,000/- (रूपये बासठ लाख तेईस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या व दि0	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन/ व्यय	01.04.20 को अवशेष	जिलाधिकारी द्वारा की गयी मांग	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बाराबंकी	बाराबंकी-देवा-फतेहपुर-महमूदाबाद-बिसवा-लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 एच के कि0मी0-28 के दाहिने से निकले रसूलपनाह सम्पर्क मार्ग कि0मी0-2 से निकलकर गढ़ा ग्राम तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	65/2020/ 288/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/ 2019टी0सी0,दि0 19.03.2020	1.250	75.56	49.11	26.45	20.70	20.70

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या व दि0	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन/ व्यय	01.04.20 को अवशेष	जिलाधिकारी द्वारा की गयी मांग	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	मीरजापुर	बरौधा से कोटाघाट पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग के कि0मी0-4 से बांयें लहोरा में हथिया बॉध सम्पर्क मार्ग	65/2020/ 288/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/ 2019टी0सी0,दि0 19.03.2020	1.500	75.51	33.98	41.53	41.53	41.53
			कुल योग-	**2.75**	**151.07**	**83.09**	**67.98**	**62.23**	**62.23**

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजना पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट एवं गुणवत्तायुक्त पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

4- विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर धनराशि नाबार्ड की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

6- उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-27-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के चालू कार्यो हेतु एकमुश्तव्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.

<u>संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज / संबंधित मण्डलायुक्त ।

2- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, / वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, लखनऊ ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन ।

6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता /कोषाधिकारी ।

7- लोक निर्माण अनुभाग-10।

8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव

http://shasanadesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।